न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 85/2002 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

शारदा देवी धर्म पत्नी हरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी मजरा देवीराम का पुरा मौजा सखवारा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भगवती प्रसाद } पुत्रगण श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सखवारा तहसील सैपऊ।
2. हरीशंकर }
3. रामदुलारी पुत्री श्यामलाल पत्नी हजारीलाल जाति ब्राहम्ण हाल निवासी नेनागढ रोड के.एस. मॉल के पीछे सिद्ध नगर कालौनी मुरैना।
4. रामश्री पुत्री श्यामलाल पत्नी रामगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी तसीमों तहसील सैपऊ।
5. भूदेवी पुत्री श्यामलाल पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी तसीमों तहसील सैपऊ।
6. शिवदेवी पुत्री श्यामलाल पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी तसीमों तहसील सैपऊ।
7. भौता पुत्री श्यामलाल पत्नी देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी तसीमों, तहसील सैपऊ।
8. शान्ति पुत्री श्यामलाल वेवा छिद्दूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हथियापौर बाडी।
9. रामबेटी पुत्री श्यामलाल वेवा देवी सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी दुबेपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
10. शिवदेवी पुत्री श्यामलाल पत्नी सूबेदार सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामगढ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
11. नारायनलाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी विरजा पाडा पुराना शहर धौलपुर जिला धौलपुर।
12. दामोदार पुत्र फतेह सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रमगढा सब तहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर राजस्थान।
14. सुरेश पुत्र शिवकुमार कौम ब्राहम्ण निवासी रमगढा तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 30.07.2002 मि.नं. 64/96 उनवानी शारदा देवी बनाम भगवती।

उपस्थितिः–

1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–15.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2002 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादिया द्वारा एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात श्यामलाल व श्रीपति की थी। श्यामलाल का इन्काल श्रीपति से करीब 30 साल पूर्व हो गया था। श्यामलाल की मृत्यु पर उसका तर्का उसके पुत्र हरीशंकर व भगवतीप्रसाद ने प्राप्त किया। श्रीपति अपने भाई श्यामलाल से अलग, हरीशंकर के साथ रहता था। हरीशंकर की पत्नी अपीलाण्ट/वादिया शारदा देवी ने श्रीपति की सेवा श्रुषा की थी। इससे प्रसन्न होकर श्रीपति ने अपीलाण्ट/वादिया के हक में अपनी तमाम चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत कर दी। श्रीपति की मृत्यु के पश्चात् दाह संस्कार आदि की कार्यवाही अपीलाण्ट/वादिया व हरीशंकर द्वारा की गयी एवं श्रीपति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर वहैसियत वारिस, काबिज हो गयी। भगवती ने अपीलाण्ट/वादिया की बिना जानकारी के श्रीपति के वारिसान के रूप में स्वयं का, हरीशंकर तथा श्यामलाल की पुत्रियों के नाम दाखिला खारिज करा लिया। अतः वाद प्रस्तुत कर वसीयत अनुसार मृतक श्रीपति की आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा जो एक अहम साक्ष्य है, को संदेह पूर्ण मानकर वसीयतनामा को सहीं ना मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट ने वसीयतनामा के गवाहों के बयान व नोटरी पब्लिक गजेन्द्र सिंह का बयान कराकर वसीयतनामा को साबित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गवाहो के बयानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नोटरी पब्लिक गजेन्द्र सिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट साबित किया है कि वसीयत उसके सामने श्रीपति ने पेश की थी एवं उसने श्रीपति की वसीयत को पढकर सुनाया जाकर श्रीपति ने वसीयतनामा को सही मानकर व समझकर उस पर अपनी निशानी की थी। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट एवं उनके पति हरीशंकर ने स्पष्ट रूप से कब्जा साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 भगवतीप्रसाद ने अपने बयानों में यह कहा गया है कि उसकी बहिनें विवादित आराजी को काश्त नहीं करती हैं एवं स्वयं भगवती प्रसाद ने भी विवादित आराजी को कभी जोता–बोया नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2002 को निरस्त करते हुए, डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादिया द्वारा अपने हक में श्रीपति द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि बाबत् घोषणा चाही गई है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण उक्त वसीयत का फर्जी व कूट रचित होना कथन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित सात तनकियॉ कायम की गई हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादिया द्वारा कथित वसीयत एवं दावे को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

5. तनकी संख्या 01 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के क्रम में अनेक विरोधाभास रेखांकित किये हैं। चूंकि वसीयत ही दावे का आधार है। अतः वाद की सफलता के लिए, वसीयत का सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणक (Probate) होना परमावश्यक है। चूंकि वसीयत सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणित नहीं है, अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

6. तनकी संख्या 02, 03, 04 व 06, तनकी संख्या 01 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी 1 अपीलाण्ट/वादिया के विरूद्ध निर्णित हुई है। अतः तनकी 02, 03, 04 व 06 भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर अपीलाण्ट/वादिया के खिलाफ निर्णित की है।

7. तनकी संख्या 05, तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादिया के खिलाफ पाए जाने के कारण, इस तनकी की प्रासंगिकता नहीं रहती है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2002 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर